न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

प्रकरण संख्याः 53/2018
तारीख दायरः 16.07.2018

उनवान

1. हजारी पिता गंगाराम जाति माली निवासी मालीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. बन्ना पिता गंगाराम जाति माली निवासी मालीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. उसबा पिता काना जाति माली निवासी मालीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. सजना पिता काना जाति माली निवासी मालीखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 09.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का बीगोद तहसील माण्डलगढ़ के निवासी है। गॉव मालीखेड़ा से दक्षिण दिशा की ओर से चलते हुए प्रार्थीगण पेदल संजबेल व टेक्टर लेकर राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 546 जो किस्म भूमि रास्ता है। उसमें होते हुए प्रार्थीगण की शामलाती चाह खसरा नम्बर 568 में प्रवेश कर आगे खसरा नम्बर 567 रकबा 3 बिस्वा जो प्रार्थीगण व अन्य खातेदारो सामलाती भूमि होकर किस्म बंजड़ है, प्रवेश कर जाते है जहॉ से आराजी खसरा नम्बर 566/1 में प्रवेश कर खसरा नम्बर 566/1 की पश्चिमी मेर पर होते हुए खसरा नम्बर 556 व 556/1 के उत्तरी पश्चिमी कोने से प्रवेश कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 556, 557 व 558 तक पहुॅचते है। खसरा नम्बर 566/1 की पश्चिमी मेर पर प्रार्थीगण को 12 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि दो शाखी होकर चाह से सिंचित होती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 556, 556/1, 557 व 558 पर पहुॅचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। आराजी खसरा नम्बर 556/1 का खातेदार कालु पिता पेमा है। इसकी मृत्यु हो गयी है। उसके उत्तराधिकारी विपक्षी नम्बर 1 व 2 है। जिन्हे विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थीगण रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का डी.एल.सी. दर अनुसार राशि भुगतान हेतु तैंयार है। अतः निवेदन है कि मौजा मालीखेड़ा के आराजी खसरा नम्बर 566/1 के पश्चिमी मेर पर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराने का आवेदन स्वीकार फरमाया जावें।

दिनांक 08.04.2019 को विपक्षी संख्या 1 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

दिनांक 05.11.2019 को प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि जिस भूमि में से रास्ता चाहा गया है उसमें विपक्षी संख्या 2 सजना पुत्री काना माली की खातेदारी नही है। किन्तु सहवन से विपक्षी संख्या 2 को पक्षकार बनाने में आ गया है। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 2 का नाम प्रकरण से हटाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.22 15:18:32 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 26.12.2019 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट पेश हुई जो कि प्रार्थी की आराजी पर पहुॅचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। हॉ, प्रार्थी की आराजी पर पहुॅचने के लिये उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 02 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थी की मांग के अनुसार रास्ते हेतु उपयोग में ली जावेगी। खसरा नम्बर 566/1 प्रस्तावित रास्ते में एक नलकूप व देवस्थान का चबूतरा

बना हुआ है। रास्ते हेतु 02 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 144904 प्रतिबीघा से 14490 बनती है। दुगुनी दर 28981 है।

दिनांक 07.09.2020 को पत्रावली पेश हुई। हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया और पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति निम्न प्रकार पायी गई। ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का बीगोद की आराजी संख्या 556, 556/1, 557 व 558 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 548 व 566/1 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में डी.एल.सी. दर अधिक है। इसलिए पुनः वर्तमान डी.एल.सी. दर मंगवाई जाकर अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। दिनांक 09.09.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा वर्तमान डी.एल.सी. दर मंगवाई गई। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 548 रकबा 4.08 बीघा में से 01 बिस्वा व आराजी संख्या 566/1 रकबा 2.16 बीघा में से 01 बिस्वा कुल 02 बिस्वा भूमि (20 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 144904 प्रति बीघा से 14490 बनती है। दुगुनी दर 28981 रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किए जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन करावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

आदेश आज दिनांक 09.09.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.22 15:18:32 IST
Reason: SelfAttested